

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: nssccej@gmail.com Ph.: 8377917640

No.: F.8()Consumer/NSS/CCE/2022-01635/

Dated : Sept., 2024

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :- दक्षता निर्माण कार्यशाला के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र क्रमांक एफ89(9)उमावि/राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन सुदृढीकरण/2024/राजकाज रेफरेन्स नं. 10203868 जयपुर दिनांक 03.09.2024.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि उपभोक्ताओं के सर्वकालिक संरक्षण एवं संवर्द्धन के क्रम में उपभोक्ताओं के साथ हो रहे अनुचित व्यवहार एवं शोषण के विरुद्ध एक राज्य व्यापी "दक्षता निर्माण कार्यशाला" का आयोजन दिनांक 11.09.2024 को उपभोक्ता मामले विभाग एवं भारतीय मानक ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इस कार्यशाला का आयोजन वीडियो कोन्फ्रेन्सिंग(Video Conferencing) एवं वेबेक्स (Webex) के माध्यम से डीओआईटी एण्ड सी (DOIT & C) के द्वारा किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है आपके महाविद्यालय उपभोक्ता क्लब प्रभारी को विद्यार्थियों के साथ में दिनांक 11.09.2024 को "दक्षता निर्माण कार्यशाला" में वेबेक्स (Webex) के माध्यम से जुड़ने हेतु निर्देशित करें। Webex का लिंक अलग से उपलब्ध करवाया जायेगा।

प्रथम सत्र (उद्घाटन सत्र) – मध्याह्न पश्चात् 03.00 से 04.00 बजे तक

द्वितीय सत्र (टेक्नीकल सत्र) – सायंकाल 04.15 बजे से 05.30 बजे तक

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(पुखराज सेन)
आयुक्त

प्रतिलिपि –

- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र क्रमांक एफ89(9)उमावि/राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन सुदृढीकरण/2024/राजकाज रेफरेन्स नं. 10203868 जयपुर दिनांक 03.09.2024.
- वेब साइड प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अपलोड/ई-मेल हेतु

Signature valid

Digitally signed by PuKraj Sen
Designation: Commissioner
Date: 2024.09.05 10:55:02 IST
Reason: Approved





राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ89(9)उ0मा0वि0/राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन सुदृढीकरण/2024 जयपुर, हस्ताक्षरित दिनांक

आयुक्त (कॉलेज शिक्षा),
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

e-mail : nscceraj@gmail.com

विषय :- उपभोक्ता मामले विभाग एवं भारतीय मानक ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में संभाग स्तरीय "दक्षता निर्माण कार्यशाला" के सम्बन्ध में महोदय,

उक्त विषय में निवेदन है कि उपभोक्ताओं के सर्वकालिक संरक्षण एवं संवर्द्धन के क्रम में उपभोक्ताओं के साथ हो रहे अनुचित व्यवहार एवं शोषण के विरुद्ध एक राज्य व्यापी उपभोक्ता जागृति अभियान उपभोक्ता मामले विभाग एवं भारतीय मानक ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जाना है।

इस अभियान के अन्तर्गत सभी संभागीय मुख्यालय स्तर पर "दक्षता निर्माण कार्यशाला" का आयोजन दिनांक 11.09.2024 को Video Confrencing एवं Webex के माध्यम से DoIT&C के जरिये माननीय मंत्री महोदय, उपभोक्ता मामले विभाग की अध्यक्षता में किया जाएगा। जयपुर संभाग की कार्यशाला का आयोजन शासन सचिवालय, जयपुर स्थित कॉन्फ्रेन्स हॉल में किया जाएगा जिससे राज्य के समस्त संभाग एवं जिले जुड़ सकेंगे। कॉन्फ्रेन्स हॉल, शासन सचिवालय में आयोजित होने वाली इस कार्यशाला में आप सादर आमंत्रित हैं।

साथ ही राज्य के समस्त महाविद्यालय उपभोक्ता क्लब प्रभारियों को विद्यार्थियों सहित उक्त कार्यशाला में Webex के माध्यम से जुड़ने हेतु निर्देशित किए जाने का अनुरोध है। Webex का लिंक ई-मेल द्वारा आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

दक्षता निर्माण कार्यशाला दिनांक-11.9.2024

प्रथम सत्र - (उद्घाटन सत्र):- मध्यान्ह पश्चात् 03.00 से 4.00 बजे तक।

द्वितीय सत्र -(टेक्नीकल सत्र):- सायंकाल 04.15 बजे से 5.30 बजे तक।

स्थान:- कॉन्फ्रेन्स हॉल, शासन सचिवालय, जयपुर।

भवदीय,

(राजेन्द्र विजय)
निदेशक,

उपभोक्ता मामले विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
3. संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आयुक्त, कॉलेज शिक्षा से संपर्क कर कार्यशाला में उपस्थिति सुनिश्चित करें।
4. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by राजेन्द्र विजय
Designation: Special Secretary To
Government
Date: 2024.09.03 13:47:33 IST
Reason: Approved

